नारी और धार्मिक क्षेत्र

पतीव्रत की प्रथा प्रचलित थी। परन्तु समाज में उच्च धनी वर्ग के व्यक्ति एवं राजवंश के व्यक्ति एक से अधिक पत्नियां रखते थें।

विधवा विवाह : विधवा स्त्री को नियोग प्रथा द्वारा पुत्र प्राप्ति का अधिकार था। इस प्रकार पुत्र प्राप्ति के लिए इस काल में विधवा को पुर्नविवाह की आज्ञा मिली।

नियोग प्रथा : नियोग प्रथा से तात्पर्य है की यदि कोई स्त्री विधवा हो जाती थी अथवा उसका पति सन्तान उत्पन्न करने में अक्षम्य था तो स्त्री को यह अनुमती दे दी जाती थी की वह किसी अन्य निकटतम सगे सम्बन्धीयों से शादी कर लें।

→ • ऋगवैदिक काल में सती प्रथा का अभाव देखने को मिलता है।

→ • ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा का भी अभाव ~~था~~ था

→ • नारी और धार्मिक क्षेत्र : वैदिक युगों में स्त्रीयों को वे सब अधिकार प्राप्त थें, जो पुरूषों को प्राप्त थें। याज्ञिक (यज्ञों से सम्बन्धीत) एवं धार्मिक अनुष्ठानों में पति के साथ पत्नि की उपस्थिति अनिवार्य थी। पत्नी को स्वतंत्र रूप से यज्ञ जैसे अनुष्ठानों करने की स्वतंत्रता थी। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नारी के बिना पुरा नहीं समझा जाता था।

→ • नारी और राजनीतिक क्षेत्र : ऋग्वेद के उल्लेख से ज्ञात होता है कि स्त्रीयां सभा एवं समिती में सक्रिय रूप से भागीदार होती थी।

→ • ऋगवैदिक काल में नारियों को सम्पति पर पुरूषों कि तुलना में समान रूप से समान अधिकार प्राप्त नहीं थें।

→ • उत्तर वैदिक काल में स्त्रीयों की स्थीती : इस काल में स्त्रीयों की स्थीती/स्थती में थोड़ी गिरावट आ गयी। कन्या का जन्म कष्ट का कारण माना जाता था।